MISSION GREEN SABARIMALA

# सबरीमाला में एंटी प्लास्टिक एवं स्वच्छता अभियान में आयी तेजी

• भक्तों से तीर्थ यात्रा के दौरान प्लास्टिक न लाने या नदी में कपड़े नहीं फेंकने के लिए आग्रह किया गया

• पथानामथिट्टा जिला प्रशासन ने मिशन ग्रीन सबरीमाला परियोजना के साथ जागरूकता और सफाई अभियान में लायी तेजी

सबरीमाला, 8 जनवरी : केरल में प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर सबरीमाला की स्वच्छता एवं पवित्रता के लिये कई सख्त नियम बनाये गये हैं जिनमें प्लास्टिक सामग्रियां लाने पर तीर्थयात्रियों पर जुर्माना लगाया जाना भी शामिल है। राज्य सरकार ने पहाड़ी पर प्रदूषण कम करने और हर साल इस पवित्र स्थल की यात्रा करने वाले लाखों लोगों द्वारा पैदा किये गए कचरे से निपटने के अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से ऐसा किया है।

पथानामथिट्टा जिला प्रशासन, ने अगले दो वर्षों तक प्लास्टिक लाने और यहां रुककर अनुसंधान गतिविधियों करने पर पूरी तरह प्रतिबंध और जुर्माना लगाने सहित प्लास्टिक पर कई प्रकार के मुश्किल नियंत्रण करने से पहले, जागरूकता पैदा करने और प्लास्टिक इकट्ठा करने के तौर– तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष मिशन ग्रीन सबरीमाला परियोजना का शुभारंभ किया है। यह मंदिर पथानामथिट्टा में ही स्थित है।

सबरीमाला में भगवान अयप्पा का वास है और यह पंपा नदी के तट पर पश्चिमी घाट में संरक्षित पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। यहां हर साल देश भर से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, जिसके कारण यह दुनिया में सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ में से एक है।

मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वन क्षेत्र में मानव गतिविधि में काफी वृद्धि हो गयी है, जिसके कारण पानी और भूमि प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे और वन्य जीव को क्षति सहित कई गंभीर समस्याएं पैदा हुई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यदि तीर्थयात्री पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार हो जाएं तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।

पथानामथिट्टा जिला कलेक्टर एस. हरिकिशोर ने कहा, ''हम सबरीमाला भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने साथ प्लास्टिक के थैले, पैकेट, बोतल और कंटेनर नहीं लायें और पवित्र स्थल और नदी के आसपास अपशिष्ट पदार्थों को धड़ल्ले से नहीं फेंकें।'' उन्होंने कहा, ''हालांकि यह समझने की बात है कि अन्य राज्यों से कई दिनों की यात्रा कर यहां आने वाले लोगों को अपने सामान रखने के लिए थैले और कंटेनर आदि की जरूरत होती है, लेकिन वे सामानों को लाने और रखने के लिए कपड़े या अन्य बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से बने थैले, पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले कंटेनर और बोतलों जैसे वैकल्पिक सामानों का इस्तेमाल कर सकते हैं।''

कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों से लाखों भक्त मध्य नवंबर से मध्य जनवरी के बीच वार्षिक तीर्थ के मौसम के दौरान सबरीमाला आते हैं। इसके अलावा मंदिर मलयालम कैलेंडर के अनुसार हर महीने के पहले पांच दिन प्रार्थना के लिए खुला रहता है। केरल सरकार को सबरीमाला स्वच्छता मिशन में तेजी लाने के लिए इन तीर्थ यात्रियों के सहयोग की जरूरत है।

प्लास्टिक के उपयोग को कम करना मिशन ग्रीन सबरीमाला परियोजना के बारे में जागरूकता अभियान के मूल उद्देश्यों में से है। स्थानीय स्कूलों से स्वयंसेवक, महिलाओं का स्व–सहायता समूह कुडुम्बाश्री, केरल वन विभाग, राज्य की स्वच्छता एजेंसी शुचित्वा मिशन और मंदिर का प्रबंधन करने वाला त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता कर रहे हैं।

District Collector Pathanamthitta & Chairman Sabarimala Sanitation Society
Collectorate Pathanamthitta 689645 Phone: 0468-2222505 Email: dcpta.ker@.nic.in

मिशन ग्रीन सबरीमाला परियोजना के तहत, जिला प्रशासन ने कचरा एकत्र करने के लिए ट्रैकिंग मार्ग के किनारे अतिरिक्त 250 डिब्बे स्थापित किये हैं।

पंपा नदी और स्वच्छता अभियानों के लिए बाकी क्षेत्रों में करीब 30 'इको–गार्ड' तैनात किये गये हैं और वे तीर्थयात्रियों को याद दिलाते हैं कि नदी में कपड़ों और अपशिष्ट पदार्थों को फेंकना एक दंडनीय अपराध है।

भक्तों के द्वारा पंपा नदी में कपड़ों को फेंकना एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि तीर्थयात्रियों की अधिक संख्या के कारण नदी में कपड़े अधिक फेंके जा रहे हैं इसलिए नदी को साफ रखने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

देवास्वोम बोर्ड और इस परियोजना के निजी सहयोगी ने प्लास्टिक एक्सचेंज काउंटर स्थापित किया है जहां तीर्थ यात्री कपड़े के थैले के बदले में प्लास्टिक कचरे जमा कर सकते हैं। तीर्थ मार्ग पर होर्डिंग, नोटिस और साइनेज लगाये गये हैं और अभियान में शामिल स्वयंसेवकों के द्वारा सामान ले जाने के नये उपायों और प्लास्टिक के नये विकल्पों के बारे में भक्तों को बताने के लिए पर्चे वितरित किये जा रहे हैं।

जागरूकता अभियान में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से तेजी लायी जा रही है और जानकारी देने और परियोजना में लोगों की भागीदारी की तलाश के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.missiongreensabarimala.com शुरू किया गया है।

केरल जल प्राधिकरण सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ट्रैकिंग मार्ग के आधार पर एक रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र की स्थापना में सहायता कर रहा है। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने भी मार्ग के आसपास पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए करीब 50 कियोस्क स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू किया है। इन कियोस्क से प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग में भारी कमी आने की उम्मीद है, जो कि इसे क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषकों से एक है। एक अनुमान के अनुसार ट्रेकिंग मार्ग के किनारे हर साल दस लाख पीईटी बोतल बिक रहे हैं।

श्री हरि किशोर ने कहा कि मिशन ग्रीन सबरीमाला परियोजना ने इस वर्ष काफी हद तक अपना ध्यान जागरूकता कायम करने पर केंद्रित किया है, लेकिन एक बार जब वैकल्पिक बुनियादी ढांचे पूरी तरह से बन जायेंगे तब मंदिर तथा आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिये अधिक सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

केरल उच्च न्यायालय ने मंदिर में और मंदिर के आसपास प्लास्टिक थैलियों, डिब्बों, प्लास्टिक कवर, पॉलीथीन बैग और अन्य प्लास्टिक सामग्रियों को बेचे जाने अथवा उन सामग्रियों को रखे जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्ण प्रतिबंध को एक फरवरी से लागू किये जाने का आदेश दिया है।

श्री हरि किशोर ने कहा कि इसके अलावा अधिकारी प्लास्टिक सामग्रियों को सबरीमाला लाने तथा पीईटी बोतलों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाये जाने पर भी विचार कर रहे हैं। भावी प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुये जुर्माने, वाहनों की तलाशी तथा फ्लिस्किंग जैसे दंडात्मक उपाय लागू किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य सबरीमाला को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सम्पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने से पूर्व एक कारगर वैकल्पिक प्रणाली तैयार हो जायेगी ताकि यहां आने वालों को दिक्कत नहीं हो।'' उन्होंने कहा, ''हालांकि, यहां आने वाले भक्तों से हमारा पुरजोर अनुरोध है कि तीर्थयात्रा की भावना के अनुरूप ही वे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने तथा वनों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिये अपने हिस्से का योगदान करें।''

District Collector Pathanamthitta & Chairman Sabarimala Sanitation Society
Collectorate Pathanamthitta 689645 Phone: 0468-2222505 Email: dcpta.ker@.nic.in